

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या -981/2022

अनवान : -

1. शिशपाल पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. मदनलाल पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।
2. हाकम राम पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।
3. कनीराम पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।
4. गुड्डी देवी पुत्री हरिराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।
5. विद्या देवी पुत्री हरिराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर ।

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 18.09.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा टोपरिया बाराणी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 164/155 के कुल खसरे 125 की कुल तादादी 31.3720 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा तथा 18 आर.डब्ल्यू.डी. तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075/2078 के खाता संख्या 39/29 के कुल खसरे 22 का कुल क्षेत्रफल 4.1745 है० में से 1/10 हिस्सा व रोही मौजा 20 आर.डब्ल्यू.डी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 66/63 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.2650 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 45/38 के कुल खसरे 53 का कुल क्षेत्रफल 10.7270 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा व खाता संख्या 69/65 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 0.9880 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा व रोही मौजा 20 आर.डब्ल्यू.डी. - ए तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071/2074 के खाता संख्या 123/108 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है० में से 1/10 हिस्सा व खाता संख्या 25/53 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.2144 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा व रोही मौजा 20 आर.डब्ल्यू.डी. - बी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 78/75 के कुल खसरे 16 कुल क्षेत्रफल 3.8450 है० में से 1/10 हिस्सा व खाता संख्या 154/165 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा तथा रोही मौजा 20 आर.डब्ल्यू.डी.सी. तहसील रावतसर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2075 के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 210 का कुल क्षेत्रफल 45.6900 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा व खाता संख्या 100/80 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.9230 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा व रोही मौजा 21 आर.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर



113/93 के कुल खसरे 33 का कुल क्षेत्रफल 6.3970 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के पिता हरिराम पुत्र ठाकरूराम उर्फ ठाकर का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादीया संख्या 4 ता 5 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 4 ता 5 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त सभी खातो में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स० 1 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स० 6 व 7 परोकार राज द्वारा जवाब पेश जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी प्रदर्श-1 से 11, शपथ पत्र वारिसान प्रदर्श-12, मृत्यु प्रमाण पत्र हरिराम प्रदर्श-13, मृत्यु प्रमाण पत्र दाखा देवी प्रदर्श-14, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श- 15 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही साक्ष्य में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की उक्त वाद भूमि वर्तमान मे हरिराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का पिता है। प्रतिवादीया संख्या 4 ता 5 जो की वादी की बहिने है ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा टोपरिया बाराणी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 164/155 के कुल खसरे 125 की कुल तादादी 31.3720 है० भूमि में से 1/10


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा तथा 18 आर.डब्ल्यू.डी. तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075/2078 के खाता संख्या 39/29 के कुल खसरे 22 का कुल क्षेत्रफल 4.1745 है० में से 1/10 हिस्सा व रोही मौजा 20 आर.डब्ल्यू.डी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 66/63 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.2650 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 45/38 के कुल खसरे 53 का कुल क्षेत्रफल 10.7270 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा व खाता संख्या 69/65 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 0.9880 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा व रोही मौजा 20 आर.डब्ल्यू.डी. - ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071/2074 के खाता संख्या 123/108 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है० में से 1/10 हिस्सा व खाता संख्या 25/53 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.2144 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा व रोही मौजा 20 आर.डब्ल्यू.डी. - बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 78/75 के कुल खसरे 16 कुल क्षेत्रफल 3.8450 है० में से 1/10 हिस्सा व खाता संख्या 154/165 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा तथा रोही मौजा 20 आर.डब्ल्यू.डी.सी. तहसील रावतसर के जमाबंदी सम्वत 2075-2075 के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 210 का कुल क्षेत्रफल 45.6900 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा व खाता संख्या 100/80 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.9230 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा व रोही मौजा 21 आर.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 113/93 के कुल खसरे 33 का कुल क्षेत्रफल 6.3970 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि मृतक हरिराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान में हरिराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है जिसका देहान्त हो चुका है हरिराम के जायज वारिसान वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श-15 एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक हरिराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादी का कथन है कि प्रतिवादीया संख्या 4 व 5 ने अपना हक हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है वादी के कथनों को प्रतिवादी 1 ता 5 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है। प्रतिवादी स० 1 ता 5 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स० 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 164/155 के कुल खसरे 125 की कुल तादादी 31.3720 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा तथा 18 आर.डब्ल्यू.डी. तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075/2078 के खाता संख्या 39/29 के कुल खसरे 22 का कुल क्षेत्रफल 4.1745 है० में से 1/10 हिस्सा व रोही मौजा 20 आर.डब्ल्यू.डी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 66/63 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.2650 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 45/38 के कुल खसरे 53 का कुल क्षेत्रफल 10.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

7270 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा व खाता संख्या 69/65 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 0.9880 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा व रोही मौजा 20 आर.डब्ल्यू.डी. – ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071/2074 के खाता संख्या 123/108 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है० में से 1/10 हिस्सा व खाता संख्या 25/53 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.2144 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा व रोही मौजा 20 आर.डब्ल्यू.डी. – बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 78/75 के कुल खसरे 16 कुल क्षेत्रफल 3.8450 है० में से 1/10 हिस्सा तथा रोही मौजा 20 आर.डब्ल्यू.डी.सी. तहसील रावतसर के जमाबंदी सम्वत 2075–2075 के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 210 का कुल क्षेत्रफल 45.6900 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा व खाता संख्या 100/80 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.9230 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा व रोही मौजा 21 आर.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 113/93 के कुल खसरे 33 का कुल क्षेत्रफल 6.3970 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि में वादी के पिता मृतक हरिराम पुत्र ठाकरूराम उर्फ ठाकरू का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को ब० हि० ब० के खातेदार घोषित किये जाते तथा रोही मौजा 20 आर.डब्ल्यू.डी.–बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076/2079 खाता संख्या 154/165 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि में वादी के मृतक पिता का नाम हरिराम पुत्र हाकम दर्ज हो गया है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के ब० हि० ब० के खातेदार दर्ज किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18/11/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -981/2022

अनवान : -

1. शिशपाल पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. मदनलाल पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।

2. हाकम राम पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।

3. कनीराम पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।

4. गुड्डी देवी पुत्री हरिराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।

5. विद्या देवी पुत्री हरिराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर ।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 981 सन 2022 दिनांक 18.09.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 164/155 के कुल खसरे 125 की कुल तादादी 31.3720 है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा तथा 18 आर.डब्ल्यू.डी. तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075/2078 के खाता संख्या 39/29 के कुल खसरे 22 का कुल क्षेत्रफल 4.1745 है0 में से 1/10 हिस्सा व रोही मौजा 20 आर.डब्ल्यू.डी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 66/63 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.2650 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 45/38 के कुल खसरे 53 का कुल क्षेत्रफल 10.7270 है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा व खाता संख्या 69/65 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 0.9880 है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा व रोही मौजा 20 आर.डब्ल्यू.डी. - ए तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071/2074 के खाता संख्या 123/108 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है0 में से 1/10 हिस्सा व खाता संख्या 25/53 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.2144 है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा व रोही मौजा 20 आर.डब्ल्यू.डी. - बी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 78/75 के कुल खसरे 16 कुल क्षेत्रफल 3.8450 है0 में से 1/10 हिस्सा तथा रोही मौजा 20 आर.डब्ल्यू.डी.सी. तहसील रावतसर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2075 के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 210 का कुल क्षेत्रफल 45.6900 है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा व खाता संख्या 100/80 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.9230

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है० भूमि में से 1/10 हिस्सा व रोही मौजा 21 आर.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 113/93 के कुल खसरे 33 का कुल क्षेत्रफल 6.3970 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि में वादी के पिता मृतक हरिराम पुत्र ठाकरूराम उर्फ ठाकरू का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को ब० हि० ब० के खातेदार घोषित किये जाते तथा रोही मौजा 20 आर.डब्ल्यू.डी.-बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076/2079 खाता संख्या 154/165 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि में वादी के मृतक पिता का नाम हरिराम पुत्र हाकम दर्ज हो गया है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के ब० हि० ब० के खातेदार दर्ज किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/11/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर